सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

05 दिसम्बर, 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा
प्रथम सत्र

शुक्रवार, तिथि 05 दिसम्बर, 2025 ई0
14 अग्रहायण, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

समितियों का गठन

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2025–27 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2027 तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परंतुक के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2025–27 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2027 तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परंतुक के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2025–27 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2027 तक सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद्

से क्रमशः चार, छः एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हों तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2025–27 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2027 तक सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, छः एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हों तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा के समक्ष कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद–323(2) के तहत् बिहार लोक सेवा आयोग का वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक–एक प्रति को सभा पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा–45(1) के आलोक में बिहार की निर्दिष्ट बाँधों की सुरक्षा स्थिति का वित्तीय वर्ष 2024–25 का वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति को सभा पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–146(2) के आलोक में बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2025 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार छः याचिकाएं प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्ष : अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

<u>वित्तीय कार्य</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2025–26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों के माँगों की कुल संख्या–43 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । अतः किसी एक विभाग के अनुदान की माँग के प्रस्ताव पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान हो सकता है । मैं माँग संख्या–42, ग्रामीण विकास विभाग को लेता हूँ । इस पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष माँगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा किया जायेगा । चूंकि आज शुक्रवार का दिन है इसलिए विमर्श अभी से 12.30 बजे अपराह्न तक होगा । विभिन्न दलों को उनके सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी क्रम में सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगाः–

भारतीय जनता पार्टी	– 33 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 31 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	– 09 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)	– 06 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 02 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	– 02 मिनट
राष्ट्रीय लोक मोर्चा	– 01 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰एल॰)(एल॰)	– 01 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰)	– 01 मिनट
बहुजन समाजवादी पार्टी	– 01 मिनट
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी	– 01 मिनट
	....
	कुल = 90 मिनट
	....

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होंगे, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या–3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 24050,04,79,000/– (चौबीस हजार पचास करोड़ चार लाख उनासी हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार एवं श्री कुमार सर्वजीत से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता जी का प्रस्ताव प्रथम है ।

अतएव माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

टर्न–2 / अंजली / 05.12.2025

श्री आलोक कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/–रुपये से घटाई जाय ।''

अध्यक्ष : आपको 9 मिनट बोलने का समय दिया गया है । राष्ट्रीय जनता दल को 9 मिनट का समय दिया गया है । नहीं बोलना चाहते हैं ?

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह द्वितीय अनुपूरक बजट सरकार के द्वारा पेश किया गया है । प्रथम जो बजट था, मूल बजट, उसमें लगभग 3.16 लाख करोड़ का प्रावधान था, यह बजट लगभग 92 हजार करोड़ का प्रस्तावित प्रावधान है । मैं कहना चाहता हूं कि बजटीय अनुमान में कमी की वजह से और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से बार–बार सप्लीमेंट्री लाने की आवश्यकता पड़ती है । यह कोई कोरोना काल नहीं है कि विशेष परिस्थिति में तृतीय बजट पेश किया जाय और हर बजट का साइज जो है, अनुमान और जो वास्तविकता है दोनों के बीच इतना अंतर हो जाय कि हर बजट में एक–तिहाई के बराबर का बजट पेश किया जाय । यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो बजट बनाया जाता है वर्ष के शुरू में उसमें सीरियसनेस नहीं है, उसमें सारे प्रावधानों को व्यवस्थित ढंग से विचार नहीं किया जाता है, इसलिए बार–बार ऐसे सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता पड़ती है । बजट बढ़ाने के पीछे और भी कारण हैं जैसे जो योजनाएं लागू हुईं, उन योजनाओं में यदि देर होती है तो वित्तीय भार सरकार पर पड़ता है ऐसा लगता है कि यह कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि किसी भी योजना का बजट पास कर दो और उसके बाद समय–सीमा तक वह पूरा न करें और उसके बाद उसको एक्सटेंड करके और उसका बजट बढ़ा दें यह ऐसा लगता है कि ठेकेदारों की जो मांग है उस पर आधारित इस तरह के प्रावधान किये जाते हैं इस पर रोक लगनी चाहिए । महोदय, सरकार द्वारा द्वितीय अनुपूरक बजट मांग पेश करना यह दर्शाता है कि वित्तीय मामले में सरकार किस तरह कैजुअल अप्रोच अपना रही है । प्रथम अनुपूरक बजट मांग के बाद दूसरा अनुपूरक बजट इस बात का प्रमाण है, मूल बजट की राशि इसमें कौन–सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि बार–बार बजट लाने की

आवश्यकता पड़ गई । Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 भी इस तरह के प्रावधान विशेष परिस्थिति में इस तरह की इजाजत देता है इसलिए निर्धारित सीमा के अंदर यदि अतिरिक्त व्यय एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा की निर्धारित सीमा के अंदर है, अगर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के तीन प्रतिशत की सीमा से अधिक है तो क्या आज कोरोना या इस तरह की आपदा वाला समय है, आपदा तो असमय है अभी कटाव चल रहा है, बाढ़ की स्थिति आई लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से बजट का प्रावधान किया जा रहा है । अनुपूरक बजट में संसाधन कहां से आएंगे, क्या लोन लिया जाएगा, या फिर जनता पर टैक्स लादा जाएगा, इस बात का भी जिक्र बजट के अंदर होना चाहिए था लेकिन यह नहीं है । सरकार के सामने कई प्रश्न हैं यह साफ करना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट विकास का नहीं बल्कि सरकार की विफलताओं को छिपाने का बजट है और वर्षों तक सरकार साल की शुरुआत में ही यदि आय–व्यय अनुमान सही ढंग से लगा ली होती तो इस तरह के बजट लाने की आवश्यकता नहीं होती । स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय में वृद्धि का औचित्य समझ में आता है लेकिन जहां तक योजनाओं पर व्यय का सवाल है यह तार्किक प्रतीत नहीं होता है, सरकार कहती है कि इसमें योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि मांगी गई है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले बजट में आवंटित राशि का क्या हुआ ? जहां प्रगति रिपोर्ट नगण्य है, जहां एक–एक फाइल महीनों तक धूल फांक रही है, वहां नई राशि का मांगना जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है । सबसे बड़ी बात है कि सरकार वित्तीय अनुशासन में फेल हो गई है राजस्व संग्रह कमजोर है, केंद्र पर निर्भरता बढ़ रही है और सुधारों पर कोई ध्यान नहीं है । क्या यही सुशासन है, क्या यही विकास की परिभाषा है ? मेरा मानना है कि बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता बल्कि यह सरकार की नीयत का आईना होता है, लेकिन इस अनुपूरक बजट से स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि सरकार के पास न दृष्टि है, न योजना है, न जिम्मेवारी दिखाई पड़ रही है । राज्य के स्कूलों के हालात खराब हैं, शिक्षकों की कमी, अस्पताल में दवाइयों की सुविधाओं में कमी लेकिन बजट में इन जरूरतों को बहुत प्राथमिकता नहीं दी गई है, इसलिए आवंटनों का हिसाब नहीं दिया गया, न ही निगरानी व्यवस्था को मजबूत की गई, न जवाबदेही फिर से अतिरिक्त राशि की मांग का मतलब है कि सरकार भ्रष्टाचार और लीकेज पर नियंत्रण करने में असफल है । यह बजट बाढ़, सूखा, शहरों की यातायात एवं जल प्रबंधन की समस्या है, ग्रामीण सड़कों के रख–रखाव पर सरकार के पास कोई ठोस उत्तर नहीं है, जबकि जनता इन्हीं मुद्दों से परेशान है । सरकार विकास से ज्यादा राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है । चुनाव को प्रभावित करने के लिए योजना बनाई जा रही है, महिला

रोजगार योजना स्वागत योग्य है, लेकिन महिला रोजगार योजना की सस्टेनबिलिटी क्या होगी, उसकी फाइनेंशियल सस्टेनबिलिटी, आगे वह कैसे चलेगा, 2 लाख रुपया आप प्रति हर महिला को कैसे देंगे और दूसरी तरफ यह भी कहना चाहता हूं कि एक करोड़ 30 लाख महिलाएं ही इस राज्य में नहीं हैं, लगभग 6 करोड़ से ऊपर महिलाओं की संख्या है । बाकी महिलाओं को क्या हक नहीं है कि वह भी दस–दस हजार रुपया लें, क्या उनको हक नहीं है कि वह भी दो–दो लाख रुपया लें । इस बात का जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि बिहार की जो बची हुई महिलाएं हैं वे भी इस बात के लिए अपेक्षा करती हैं । मैं कुछ बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 40 लाख लोग बिहार में ऐसी बस्ती में रहते हैं जिनकी संख्या 100 से अधिक है और उनकी कनेक्टिविटी अभी तक मुख्य सड़क से नहीं हो पाई है, क्यों नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकारी जमीन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है जमीन खरीदने के लिए और हमलोग जब सरकार में शामिल थे, उसी समय यह योजना बनी थी कि हर उस तरह के मोहल्ले को सतत लीज पर जमीन लेकर और सरकार उस पर सड़क बनाएगी । कई बार चर्चा हुई और यहां तक कि कैबिनेट में भी इसकी चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी ने बहुत जोर देकर संबंधित पदाधिकारियों को बोला कि इसको तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए लेकिन आज तक वे लोग अपमान सहने के सिवाय उनके पास कोई उपाय नहीं है । दूसरे लोगों की जमीन पर चलते हैं और सड़क नहीं रहने की वजह से वहां शादी–ब्याह भी मुश्किल हो गयी है और बीच–बीच में उन्हें रोका जाता है, अपमानित किया जाता है ताकि वे उनकी निजी जमीन पर नहीं चल सकें । इस तरह की समस्याएं नल–जल योजना से जुड़ी हुईं समस्याएं, लाखों शिकायते हैं, शिकायतों का बिल्कुल जो तुगलकी डिसीजन होता रहा है कि कभी पंचायत को दे दिया, कभी पीएचडी को दे दिया और इस बीच में झूलता हुआ आम आदमी जिसके दरवाजे पर मोहल्ला का मोहल्ला ऐसा पड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, एक मिनट । मोहल्ला का मोहल्ला ऐसा पड़ा हुआ है जहां पर अभी तक पाइपलाइन तक नहीं बिछी है ।

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, बुलडोजर पर मैं कुछ कहना चाहता हूं । यह बुलडोजर संस्कृति को लाने की....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हुआ है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष : समय कम है । बैठ जाइए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, बुलडोजर संस्कृति बिहार की प्रजातांत्रिक धरती के बिल्कुल विपरीत है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

श्री आलोक कुमार मेहता : आम जनता की समस्याओं पर ध्यान देकर और महोदय...

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : बुलडोजर संस्कृति को शुरू नहीं होने दिया जाय । जीविका क्या है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा । जीविका के बारे में ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जायं ।

माननीय सदस्य, श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए । आपका समय समाप्त हुआ । आलोक बाबू, प्लीज बैठ जाइए। समय समाप्त हुआ । प्लीज बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मनोहर प्रसाद सिंह जी बोलिए ।

टर्न–3 / पुलकित / 05.12.2025

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विनियोग विधेयक जो लाया गया है, इसमें कई त्रुटियां हैं और जनता ने जो विश्वास सरकारी दल को दिया है, उस विश्वास के अनुरूप नहीं है । महोदय, अब तो जनता पछता रही है कि हम किस दल को बहुमत दे दिए । लेकिन महोदय...

(व्यवधान)

महोदय, अब पछताने से क्या होगा ? जनता पछता रही है, उससे पछताने से क्या होगा ? महोदय, यह सवाल बात करने का है, टोका–टोकी करने का नहीं है तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि–

''आगह दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत,
अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।''

जब जनता पछता रही है...

(व्यवधान)

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहां अभी निर्वासित लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनकी समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है । जो अभी कटाव है, अभी कट रहा है, बहुत जगह कट रहा है, हमारे क्षेत्र में भी कई जगह कटाव हो रहे हैं और हम लोगों ने प्रयास किया कि उस कटाव को रोका जाए, लेकिन उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ जाएं । माननीय सदस्य श्री अखतरुल ईमान जी, आपका समय दो मिनट है ।

श्री अखतरुल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, यह संवैधानिक कंपनशन है कि जनता की राशि को खर्च करने के लिए असेंबली से उसका अनुमोदन कराया जाए । लेकिन यह सरकार की भी जिम्मेदारी है कि आवाम के गाढ़े खून और पसीने की कमाई से उसका उत्थान हो रहा है कि नहीं, यह देखने की जरूरत है । मौजूदा वक्त में जो इस वक्त खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए से जो वसूली की जा रही है कर्मचारियों के जरिए से और सर्किल ऑफिस के जरिए से, मैं समझता हूँ कि बिहार में इससे पहले इतना बड़ा शोषण कभी नहीं हुआ है । मैं सरकार का आलोचक नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि मैं ईमानदारी के साथ अगर बोलूं तो सत्ता और विपक्ष सारे लोग इस बात में सहमत हैं कि इस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बेइम्तहा लूट हो रही है । यह सरकार, नए इरादों के साथ आई है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इस पर काबू पाने की जरूरत है, जनता बहुत बेहाल है।

मैं इस वक्त सीमांचल से आता हूँ । सीमांचल में सबसे घनी नदियां हैं । 100 किलोमीटर के दरमियान में जो हिमालय की गोद में बहने वाली 300 किलोमीटर–400 किलोमीटर की बारिश और नदियों का पानी 10 से 15 किलोमीटर में समाहित हो जाता है । कटाव बहुत अत्यधिक है । मैं जल संसाधन मंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने पिछले दिनों में तवज्जो दी है, आइंदा भी सीमांचल के कटाव पर तवज्जो देने का काम करेंगे ।

महोदय, इस वक्त फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सरकार तरक्की कर रही है, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी भी सीमांचल में 20–25, 30–40 किलोमीटर की दूरी पर पुलों का निर्माण नहीं हुआ है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए ।

महोदय, चूँकि यह सरकार कानून के राज की बात करती है, यहां माननीय मुख्यमंत्री हैं और सदन है, मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान अपनी जगह पर है । लेकिन पिछले विगत कई वर्षों से अफसरशाही का जो एक चलन बढ़ा है महोदय, उससे सिर्फ यह नहीं कि आपके जनप्रतिनिधि अपमानित हो रहे हैं, बल्कि जनता का शोषण–दोहन भी हो रहा है और जनता का काम सही तौर पर नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं । कृपया बैठ जाएं, आपका समय समाप्त हुआ। समय तय है । माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी ।

श्री अखतरुल ईमान : महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा । सर, थोड़ा सा बिजली मंत्री को कहना चाहूंगा । महोदय, बिजली मंत्री यहां पर है, बिजली की हालत बहुत खराब है । हमारे क्षेत्र का सर्वे कराकर पुनः काम कराया जाए ।

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी । आपको एक मिनट बोलना है ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव पर बोलने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे । कल सदन में सरकार की तरफ से कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता और कुशलता के चलते, उनके बेहतर चुनाव संचालन के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की जो कमिटी है, चुनाव से संबंधित कमिटी, उसका चेयरपर्सन बनाया गया । हम नहीं मानते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को गुमराह करने के लिए कहा है । संभव है कि यह संगत का भी असर हो । जैसे जी–20 जब भारत में हुआ तो कहा गया कि सरकार ने आयोजन करवाया । हम कहेंगे महोदय कि यह सिंपल एक प्रैक्टिस है, एक रोटेशन के तहत 2026 में भारत को मिलना था, ठीक वैसे ही जैसे आगे चलकर वर्ष 2033 में वह किसी और देश को मिलना है, ट्यूनीशिया को मिलना है, वह अभी से तय है । सदन को गुमराह न किया जाए ।

दूसरी बात हम कहेंगे महोदय कि कल हमने जब कहा था तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऑनगोइंग स्कीम के ऊपर यह नहीं होता है, पहले से कोई स्कीम होता है तो नहीं होता है । आचार संहिता का वह पैसा बांटने वाला सिस्टम खत्म नहीं होता है। लेकिन तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पहले के स्कीम को रोके गए हैं महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त होता है, कृपया बैठ जाएं ।

श्री संदीप सौरभ : सदन को गुमराह न किया जाए, यह हम कहेंगे महोदय । हमलोगों के पास कम समय है इसलिए थोड़ा संरक्षण दिया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी । आपका समय एक मिनट है । माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी कृपया बैठ जाएं, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम प्वाइंट ऑफ क्लेरिफिकेशन पर है । माननीय सदस्य ने कहा कि उनको इस कारण नहीं मिला है और आपने यह भी कहा है कि हो सकता है कि उसमें यह भी कारण हो । आप अभी बोले हैं, अभी प्रोसीडिंग देख लीजिएगा, आपने जो बोला है, अभी प्रोसीडिंग देख लीजिएगा और जब आपके भी दिल में है कि हो सकता है यह भी कारण हो तो, मैंने तो उतना ही कहा था ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठे–बैठे मत बोलिये ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर और गिलोटिन के माध्यम से सभी विभाग हैं, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ । ग्रामीण विकास विभाग का मूल रूप से जो काम होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण काम स्वच्छता मिशन है और जिसमें मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत ही विकास की बात कर रही है, लेकिन स्वच्छता ग्राही का सिर्फ

3000/— रुपया महीने पर काम लिया जाता है और वह भी उसका भुगतान 6 महीने में एक बार होता है या नहीं होता है । वह काम भी शायद बिहार में आधी पंचायतों में हो रहा है, इसके बारे में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी ।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आवास योजना भी आपके अंदर में आती है । आवास योजना पूरी तौर पर बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है । जब तक आपका मुलाजिम 25,000 से 50,000 रुपया नहीं लेता, तब तक किसी का मकान बनता नहीं और नहीं बनने की स्थिति में...

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ जाएँ ।

श्री अजय कुमार : महोदय, एक महत्वपूर्ण बात कह कर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। धान की खरीद पूरे बिहार में नहीं हो रही है । नेता सदन बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में किसान के धान की नहीं खरीद हो रही है । इसलिए इसको संज्ञान में लेकर के इस पर बात होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । लेकिन मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नया—नया हूँ, बहुत कुछ पढ़ा नहीं, बहुत चीज जानता भी नहीं । लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह मात्र द्वितीय अनुपूरक बजट है । आने वाले 5 साल में हर एक साल आएगा, क्या आएगा यह पता नहीं ? लेकिन यह जो 24,000 से आपने ज्यादा बढ़ा...

अध्यक्ष : आप सबों का ट्रेनिंग करवायी जाएगी, जो नए सदस्य आए हैं, उनके ट्रेनिंग करवाने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : उस ट्रेनिंग सेशन का तो इंतजार कर रहा हूँ महोदय । लेकिन मैं चाहता हूँ यह जो इंप्लीमेंटेशन और जो बजट के जो बीच का गैप होता है, जो बढ़ाना पड़ता है बार—बार, या तो ठीक से बनाया नहीं जाता है, अगर बनता है तो कहीं न कहीं जो लीकेज होता है, उस पर मैं सदन से अनुरोध करूँगा कि उस पर रोक लगाने की कोशिश करें ताकि हमारा यह द्वितीय हो, तृतीय—चतुर्थ नहीं आए । बहुत—बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव । आपका समय एक मिनट है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी और मैं अपनी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को भी आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ । महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसका इंप्लीमेंट और अच्छे से अगर हो, तो जो भी गरीब समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग, उन लोगों को भी बेहतर ढंग से जो है आवास योजना में सम्मिलित किया जाए । साथ ही स्वच्छता के अंदर जो है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, शौचालय का निर्माण जो भी पहले हुआ है, तो बहुत सी उसमें लूट—खसोट भी है, उसको जांच करके हर जगह शौचालय के निर्माण को भी बेहतर ढंग से महोदय इसको

इंप्लीमेंट कराया जाए । साथ ही महोदय, यह विभाग की बात नहीं है लेकिन हमारे यहां रामगढ़ विधानसभा में दुर्गावती नदी और कर्मनाशा नदी के तट पर बसे गांव बहुत से कटाव के कारण खतरे में हैं सर । उसका भी सर जांच करके, उस कटाव को रोकने का उपाय किया जाए महोदय । मैं बस यही कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

टर्न–4 / हेमन्त / 05.12.2025

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य की कुल आबादी में से लगभग 89 प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं। राज्य के गरीबों को बड़ा भरोसा है ग्रामीण विकास विभाग पर। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, आधार पंजीकरण सामाजिक अंकेक्षण, सोसायटी विकास प्रबंधन संस्थान कार्यक्रम एवं जीविका संचालित किये जा रहे हैं। महोदय, जीविका समूह से अब तक राज्य में लगभग एक करोड़ चालीस लाख के करीब महिलाएं जुड़ चुकी हैं। समूह में जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। आज जीविकोपार्जन के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलायी जा रही हैं। राज्य में उसका लाभ जीविका दीदियों को मिल रहा है। महिला आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। आज बच्चों की पढ़ाई, दवाई के लिए घर में किसी को हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बीस सालों के शासन में जीविका दीदी को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर मिला है। इसे भूला नहीं जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, बिहार में 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर जीविका योजना की शुरूआत की गयी थी। जीविका योजना में स्वयं सहायता समूह का गठन कराया गया। आज बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलायी जा रही हैं। इस योजना को पूरी तरह धरातल पर उतारने के लिए बिहार के विकास पुरूष के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के योगदान को भूला नहीं जा सकता। कृषि से जुड़कर काम करने वाले परिवारों की संख्या 42 लाख 54 हजार से ज्यादा है। पशुपालन क्षेत्र में काम करने वाले परिवारों की संख्या 12 लाख 4 हजार से भी ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय, हर प्रखंड में सिलाई सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर दिये जा रहे हैं। अब तक 40 हजार से ज्यादा जीविका की दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में लगभग 50 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी के बच्चों के कपड़े की सिलाई का काम भी जीविका दीदी को मिला है, जिसमें 1 लाख जीविका की दीदियों को स्वरोजगार उपलब्ध हुआ है तथा दूसरे विभाग से भी संपर्क किया जा रहा है। काम के अवसर प्रदान करने की दिशा में बातचीत जारी है। राज्य के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करने के लिए जीविका की दीदियों को परामर्शी के रूप में काम करने का अवसर मिला है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पतालों में खाना बनाने के लिए साफ सफाई का काम जीविका की दीदियों को दिया गया है। इसमें 30,960 लोगों को स्वरोजगार दिया गया है। राज्य में स्थित तालाबों की देख–भाल के लिए जीविका दीदी को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 754 दीदियों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया गया है तथा सालाना मत्स्य पालन के क्षेत्र में 90,68,000 दीदियों का जीविकोपार्जन चल रहा है। सतत जीविकोपार्जन का लाभ देने वालों की संख्या 2,01,218 है, जिन्हें राज्य के खजाने से 2 लाख तक आर्थिक सहायता दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि जीविका की दीदियों को 2 लाख रूपया आप कहां से देंगे? मैं बताना चाहता हूं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने सतत जीविकोपार्जन योजना चलाई। जो ताड़ी बेचकर जिंदगी बसर करते थे, जो शराब बेचकर जिंदगी बसर करते थे, वैसे परिवार जो हासिये से पर खड़ा था, घर का कमाने वाला दुनिया में नहीं है। ऐसे लोगों को ही चिन्हित किया और 2,01,000 परिवारों को चिन्हित करके उनको 2–2 लाख की सहायता देकर उनके जीवन में नयापन लाया गया। राज्य के हर पंचायत में जीविका भवन का निर्माण हो रहा है। राज्य में कौशल विकास के क्षेत्र में लगभग 4,08,000 से ज्यादा युवा युवतियों को नियोजन किया गया है। बिहार में लगभग आज 31,71,000 से ज्यादा आज जीविका दीदी लाखपति बन चुकी हैं। महोदय, हमने काम किया है। हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है और सशक्त बनाने के ही आधार पर आज जिनकी आमदनी 2000 थी, 4000 थी, 6000 थी, उनको आज लाखपति दीदी बनाया है और इसी प्रकार का और भी कौशिकी दुग्ध उत्पादन क्षेत्र, दुग्ध उत्पादन समिति बनाकर हमने काम किया है और 34,489 दीदी को जोड़कर यहां पर प्रतिवर्ष एक करोड़ बीस लाख रूपया उनकी आमदनी हो रही है। सालाना टर्नओवर 128 करोड़ है। हर क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम चल रहा है।

महोदय, महिला रोजगार की बात करते हैं और हमारे माननीय सदस्य, महिला रोजगार की चिंता आप ज्यादा नहीं कीजिए। हमारी सरकार, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है, पहले भी एक–एक करके निभाया है और आने वाले दिनों में एक–एक करके उसको हम लोग पूरा करेंगे। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपने अपनी बातों को रख दिया है। अब सरकार का उत्तर हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : इस योजना का कार्यान्वयन जीविका द्वारा किया जा रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां प्रत्येक परिवार की महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार चुनने का अधिकार दिया गया और उनके खाते में दस–दस हजार रूपया दिया गया यानी 2 लाख और अतिरिक्त राशि भी उनको दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह राशि महिलाओं के रोजगार के लिए है जिससे उनके परिवार की आमदनी बढ़े, जीवन स्तर में सार्थक सुधार हो सके।

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से शहर तक हाट बाजार विकसित किए जा रहे हैं। ऐसे ही पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनको अन्य प्रकार की सुविधा भी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 56 लाख से ज्यादा दीदियों को रोजगार परक गतिविधि संचालन हेतु 10,000 रूपया उनके खाते में दिए जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जीविका राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक संगठन एवं स्वास्थ्य संपोषण तथा स्वच्छता के लिए संसाधन नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी कार्य कर रही है। इस राज्य की दीदी दूसरे राज्य में भी जाकर वहां पर प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह प्रशिक्षण देने का काम दूसरे राज्यों में भी हमारी दीदियां कर रही हैं। तो आप सोच सकते हैं यह प्रदेश हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, अरुणाचल, उत्तराखंड भेजे गए हैं। 12,664 दीदियां और लगभग 100 करोड़ इन सामुदायिक संसाधन सेवी ने अर्जित किया है। अध्यक्ष महोदय, यह विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, कितना भड़काने का काम किया बिहार की महिलाओं को । अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और राजद के साथ और महागठबंधन के जितने नेता थे, यह क्या कह रहे थे ? इसमें सूद लगेगा, यह पैसा जो दिया गया है, यह लौटाना पड़ेगा और यह बात विपक्ष के लोग कहते रहे, लेकिन विपक्ष के लोगों को कहने से कोई....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये। कृपया, शांति बनाये रखें।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : रोजगार योजना सफल करने में पूरी हुई है, परंतु इन्हें कामयाबी नहीं मिली। इनके झांसे में कोई नहीं आया और जब हर महीने माई बहन मान योजना भी चला रहे थे। इनके बारे में मालूम है कि ये माई बहन मान योजना चलाते नहीं हैं, मां–बहनों को बिहार में ही नहीं पूरे देश में ये अपमानित करने का काम करते हैं। कहते थे कि 2500 प्रति महीना आपको देंगे और कहते थे कि 30,000 एक मुश्त भी देंगे, लेकिन इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं था। सभी महिलाओं ने इनकी बातों को एक सिरे से खारिज किया। अध्यक्ष महोदय, राज्य में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह फॉर्म भरवा रहे थे और फॉर्म भरवाने में, महोदय, 200–300 उगाही भी हो रही थी, ठगी का काम हो रहा था। कुछ राजनीतिक दल तो गारंटी ले रहे थे और कार्ड बांट रहे थे और नीतीश कुमार जी को फिनिश करने में लगा था।

(क्रमशः)

टर्न–5 / संगीता / 05.12.2025

(क्रमशः)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार जी को जब–जब फिनिश करने का अभियान चलाते हैं विपक्ष के लोग, नीतीश कुमार जी दोगुनी ताकत के साथ बिहार की जनता उनको बिहार में खिदमत करने का, सेवा करने का अवसर देती है । बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में काम किया है इनका जो मॉडल है, उस मॉडल के सामने विपक्ष पूरी तरह सफाया हो गया, फेल हो गया और यही बात अगर कहते रहे सदन में तो आगे भी फेल होंगे । माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि बोलते बहुत हो, थोड़ा कम बोलो, समझो, सच्चाई को सामने रखो, सच्चाई को सामने नहीं रखा तब 35 पर विपक्ष सिमट गया । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनना चाहिए, हमारा जो भाषण का पार्ट है उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाए...

अध्यक्ष : दे दिया जाए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्य श्री आलोक मेहता जी से अनुरोध करता हूं कि कटौती प्रस्ताव वापस लें, राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और राज्य के गरीबों को आवास देने के लिए । हम जब पैसा मांगते हैं तो आप कटौती करते हैं तो जब आप कटौती करिएगा तो कैसे विकास होगा, तो राज्य की महिलाओं से आपको अगर दुश्मनी है, राज्य की महिलाओं से उनकी तरक्की पर आपको अफसोस है तो निश्चित रूप से आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और राज्य के विकास के लिए 24050,04,79,000/– (चौबीस हजार पचास करोड़ चार लाख उनासी हजार) रुपये खर्च करने की अनुमति सदन से प्रदान करने का अनुरोध करता हूं ।

(माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग का लिखित वक्तव्य–परिशिष्ट द्रष्टव्य–1)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, नहीं लेना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रुपये से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या–3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 24050,04,79,000/– (चौबीस हजार पचास करोड़ चार लाख उनासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगें गिलोटिन के माध्यम से ली जाएंगी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या–3) अधिनियम, 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्तः–

मांग संख्या–01 : कृषि विभाग के संबंध में 395,32,42,000/– (तीन सौ पंचानवे करोड़ बत्तीस लाख बयालीस हजार) रुपये

मांग संख्या–02 : पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 263,08,82,000/–(दौ सौ तिरसठ करोड़ आठ लाख बयासी हजार) रुपये

मांग संख्या–03 : भवन निर्माण विभाग के संबंध में 784,62,92,000/– (सात सौ चौरासी करोड़ बासठ लाख बानवे हजार) रुपये

मांग संख्या–04 : मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 587,67,10,000/– (पांच सौ सत्तासी करोड़ सड़सठ लाख दस हजार) रुपये

मांग संख्या–06 : निर्वाचन विभाग के संबंध में 122,00,00,000/– (एक सौ बाईस करोड़) रुपये

मांग संख्या–07 : निगरानी विभाग के संबंध में 6,81,30,000/– (छः करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार) रुपये

मांग संख्या–08 : कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 2,90,50,000/– (दो करोड़ नब्बे लाख पचास हजार) रुपये

मांग संख्या–09 : सहकारिता विभाग के संबंध में 8,86,15,000/– (आठ करोड़ छियासी लाख पन्द्रह हजार) रुपये

मांग संख्या–10 : ऊर्जा विभाग के संबंध में 7264,67,58,000/– (सात हजार दो सौ चौसठ करोड़ सड़सठ लाख अठावन हजार) रुपये

मांग संख्या–12 : वित्त विभाग के संबंध में 22530,60,12,000/– (बाईस हजार पांच सौ तीस करोड़ साठ लाख बारह हजार) रुपये

मांग संख्या–16 : पंचायती राज विभाग के संबंध में 1244,56,01,000/– (एक हजार दौ सौ चौवालीस करोड़ छप्पन लाख एक हजार) रुपये

मांग संख्या–17 : वाणिज्य कर विभाग के संबंध में 1,000/– (एक हजार) रुपये

मांग संख्या–18 : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 19,90,00,000/– (उन्नीस करोड़ नब्बे लाख) रुपये

मांग संख्या–19 : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 188,98,84,000/– (एक सौ अठासी करोड़ अंठानवे लाख चौरासी हजार) रुपये

मांग संख्या–20 : स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 3088,95,26,000/– (तीन हजार अठासी करोड़ पंचानवे लाख छब्बीस हजार) रुपये

मांग संख्या–21 : शिक्षा विभाग के संबंध में 15725,07,73,000/– (पन्द्रह हजार सात सौ पच्चीस करोड़ सात लाख तिहत्तर हजार) रुपये

मांग संख्या–22 : गृह विभाग के संबंध में 711,87,18,000/– (सात सौ ग्यारह करोड़ सत्तासी लाख अठारह हजार) रुपये

मांग संख्या–23 : उद्योग विभाग के संबंध में 858,37,77,000/– (आठ सौ अठावन करोड़ सैंतीस लाख सतहत्तर हजार) रुपये

मांग संख्या–25 : सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 152,66,52,000/– (एक सौ बावन करोड़ छियासठ लाख बावन हजार) रुपये

मांग संख्या–26 : श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 65,99,99,000/– (पैंसठ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) रुपये

मांग संख्या–27 : विधि विभाग के संबंध में 104,00,01,000/– (एक सौ चार करोड़ एक हजार) रुपये

मांग संख्या–30 : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 66,12,01,000/– (छियासठ करोड़ बारह लाख एक हजार) रुपये

मांग संख्या–31 : संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 4,82,61,000/– (चार करोड़ बयासी लाख इकसठ हजार) रुपये

मांग संख्या–32 : विधान मंडल के संबंध में 3,47,00,000/– (तीन करोड़ सैंतालीस लाख) रुपये

मांग संख्या–33 : सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 113,14,42,000/– (एक सौ तेरह करोड़ चौदह लाख बयालीस हजार) रुपये

मांग संख्या–35 : योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 96,12,00,000/– (छियानवे करोड़ बारह लाख) रुपये

मांग संख्या–36 : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 150,00,00,000/– (एक सौ पचास करोड़) रुपये

मांग संख्या–37 : ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 1390,02,10,000/– (एक हजार तीन सौ नब्बे करोड़ दो लाख दस हजार) रुपये

मांग संख्या–38 : मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 50,00,000/– (पचास लाख) रुपये

मांग संख्या–39 : आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 9,63,56,000/– (नौ करोड़ तिरसठ लाख छप्पन हजार) रुपये

मांग संख्या–40 : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 15,68,47,000/– (पन्द्रह करोड़ अड़सठ लाख सैंतालीस हजार) रुपये

मांग संख्या–41 : पथ निर्माण विभाग के संबंध में 1261,21,00,000/– (एक हजार दो सौ इकसठ करोड़ इक्कीस लाख) रुपये

मांग संख्या–43 : विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 8,65,97,000/– (आठ करोड़ पैंसठ लाख सतानवे हजार) रुपये

मांग संख्या–44 : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 198,77,33,000/– (एक सौ अठानवे करोड़ सतहत्तर लाख तैंतीस हजार) रुपये

मांग संख्या–45 : गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 16,62,69,000/– (सोलह करोड़ बासठ लाख उनहत्तर हजार) रुपये

मांग संख्या–46 : पर्यटन विभाग के संबंध में 15,53,00,000/– (पन्द्रह करोड़ तिरपन लाख) रुपये

मांग संख्या–47 : परिवहन विभाग के संबंध में 145,03,82,000/– (एक सौ पैंतालीस करोड़ तीन लाख बयासी हजार) रुपये

मांग संख्या–48 : नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 2345,97,73,000/– (दो हजार तीन सौ पैंतालीस करोड़ सतानवे लाख तिहत्तर हजार) रुपये

मांग संख्या–49 : जल संसाधन विभाग के संबंध में 1115,19,96,000/– (एक हजार एक सौ पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख छियानवे हजार) रुपये

मांग संख्या–50 : लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 12,04,28,000/– (बारह करोड़ चार लाख अठाईस हजार) रुपये

मांग संख्या–51 : समाज कल्याण विभाग के संबंध में 5263,40,67,000/– (पांच हजार दो सौ तिरसठ करोड़ चालीस लाख सड़सठ हजार) रुपये

मांग संख्या–52 : खेल विभाग के संबंध में 55,46,71,000/– (पचपन करोड़ छियालीस लाख इकहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

श्री भाई विरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सूचना है । कबाड़ी व्यवसायी श्री मनोज का पुलिस थाने में उसको पीट–पीटकर हत्या सौर बाजार में किया गया है...

अध्यक्ष : सरकार देख लेगी, आप बता दिए । धन्यवाद ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, सरकार संज्ञान ले ।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर, सरकार ने संज्ञान लिया है । बैठ जाइए ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, दोषियों पर कार्रवाई हो ।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर ।

टर्न–6/यानपति/05.12.2025

<u>विधायी कार्य</u>

<u>राजकीय (वित्तीय) विधेयक</u>

<u>''बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2025''</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2025 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2025 पर विचार हो।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

महोदय, वित्तीय वर्ष 2025–26 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक– 3 दिसंबर, 2025 को उपस्थापित किया गया । द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में 91717,11,35,000 (इक्यानवे हजार सात सौ सत्रह करोड़ ग्यारह लाख पैंतीस हजार) रुपये की राशि के लिए यह प्रस्ताव था । महोदय, कटौती प्रस्ताव के संबंध में आलोक जी ने जो अपना भाषण दिया उसपर मैं कुछ कहना चाहूंगा । संविधान में क्यों सप्लीमेंट्री डिमांड की बातें रखी गई हैं क्यों ? किसी भी विभाग के खर्च के आकलन का एक एस्टीमेट तैयार किया जाता है । कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी खर्च नहीं होता है इसीलिए सप्लीमेंट्री का प्रोविजन किया गया है, यह कानूनी व्यवस्था है, मनचाही व्यवस्था नहीं है । दूसरी बात पैसे कहां से आयेंगे, क्या–क्या बोल रहे हैं ये लोग ? क्या वक्त था जब एक जमाने में बिहार का बंटवारा हुआ तो भाषण होता था आलू, लालू, बालू बच गया बिहार क्या खायेगा और 25–26 हजार करोड़ का बजट था । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज्ञान, विज्ञान और ईमान ने इस बजट को 3 लाख करोड़ से अधिक बढ़ाया । आदमी में अगर ईमान हो, चरित्र हो, ज्ञान हो तो पैसे की कमी नहीं होती है, पैसे का प्रबंध किया जाता है । जनता से पैसे लेकर जनता में ही खर्च किया जाता है, कोई चारा घोटाला और बालू घोटाला नहीं होता है । महोदय, मुझे स्मरण है...

(व्यवधान)

और बात बोलियेगा तो और मैं पोल खोलूंगा ।

अध्यक्ष : बैठिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ईमान का संकट नीतीश कुमार में नहीं है इसीलिए पैसे का भी प्रबंध होगा और आज देश में जी0एस0टी0 लागू हो गई है । जी0एस0टी0 लागू होने के बाद बिहार कंज्यूमर स्टेट है । जितनी ज्यादा यहां बिक्री होगी, पैसे राज्य के खजाने में उतने आयेंगे और भी उसका बेहतर प्रबंधन करके हमलोग पैसे जुटायेंगे और जो वादा मुख्यमंत्री जी का है एक–एक को पूरा करेंगे यह गारंटी है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं कि इसे पास करने की कृपा की जाय ।

अंत में, मैं अपने वक्तव्य को सदन पटल पर रखता हूँ तथा इसे प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(माननीय मंत्री, वित्त विभाग का लिखित वक्तव्य –परिशिष्ट द्रष्टव्य– 2)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ ।

समापन भाषण

माननीय सदस्यगण, राज्य में सामान्य निर्वाचन के बाद अष्टादश बिहार विधान सभा का गठन हुआ । गठन के उपरांत इसके प्रथम सत्र की बैठक दिनांक–01 दिसंबर, 2025 से प्रारंभ होकर आज दिनांक–05 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रही है । इस सत्र में कुल 05 (पांच) बैठकें हुईं ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक–01 दिसंबर, 2025 को अस्थायी अध्यक्ष द्वारा अष्टादश बिहार विधान सभा के लिए नव–निर्वाचित माननीय सदस्यों में से 236 माननीय सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया एवं दिनांक–02 दिसंबर, 2025 को 05 माननीय सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया । इसी दिन अष्टादश बिहार विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन भी हुआ ।

दिनांक–03 दिसंबर, 2025 को माननीय राज्यपाल द्वारा सह–समवेत दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया गया । आसन द्वारा सदन नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी तथा नेता विरोधी दल के रूप में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नाम की घोषणा की गई । इस सत्र में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित दो अध्यादेश क्रमशः ''बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2025'' एवं ''बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025'' सदन पटल पर रखे गए । सभा सचिव द्वारा कुल 11 अनुमत विधेयकों का एक विवरण सदन पटल पर रखा गया । इसी दिन वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 का द्वितीय अनुपूरक व्यय–विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन एवं नियमावली की प्रति सदन पटल पर रखी गई । कुल 05 (पांच) जननायकों के निधन पर उनके प्रति शोक व्यक्त किया गया ।

इस सत्र में बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधान सभा के सदस्यों को मनोनीत करने हेतु अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को प्राधिकृत किया गया ।

दिनांक–04 दिसंबर, 2025 को माननीय श्री नरेन्द्र नारायण यादव जी को अष्टादश बिहार विधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया । इसी दिन

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री राणा रणधीर जी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन माननीय सदस्य श्री रामविलास कामत जी द्वारा किया गया । वाद–विवाद में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया गया और अंत में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा उत्तर दिया गया । तत्पश्चात् धन्यवाद का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक–05 दिसंबर, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025–26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगें गिलोटिन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात् संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

सत्र के दौरान बिहार विधान सभा के तीनों वित्तीय समितियों के वर्ष 2025–27 की शेष अवधि के गठन में सदस्यों के मनोनयन हेतु अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को प्राधिकृत किया गया ।

इस सत्र में कुल 16 निवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 15 स्वीकृत हुए एवं 01 अस्वीकृत हुए । कुल 09 याचिकाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 06 स्वीकृत एवं 03 अस्वीकृत हुईं ।

(क्रमशः)

टर्न–7 / मुकुल / 05.12.2025

क्रमशः

अध्यक्ष : सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ–साथ पक्ष–प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं । मैं विशेष रूप से आप सबों को साधुवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपके सहयोग से ही सत्र का संचालन अपेक्षाकृत अधिक सफलता से हो पाया है। आशा है कि आने वाले सत्र में भी पक्ष–प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहेगा एवं हम सभी अधिकतम जनहित साधने में सफल होंगे ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस की बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों / कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन एवं निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

नव वर्ष के शुभागमन में मैं प्रदेश की जनता एवं आप सबों के उज्ज्वल भविष्य एवं सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूं ।

''साथ सदन का हो तो, इतिहास नया बनेगा,
यह समृद्ध बिहार अपना, कीर्तिमान नया गढ़ेगा।''

''कर्मभूमि है निखिल महीतल
जब तक नर की काया
तब तक है जीवन के कण–कण में
अपना कर्तव्य समाया।''

सत्र के समापन के अवसर पर पक्ष एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को मेरी ओर से रवि का तेज, सोम की शीतलता, मंगल का शौर्य, बुद्ध की प्रज्ञा, गुरू का ज्ञान, शुक्र का वरदान, शनि का भयदान, अहर्निश रात भी मिलता रहे, राज्य के विकास में दोगुना उत्साह से कार्य करते रहें, बेहतर बिहार, सुन्दर बिहार, विकसित बिहार के निर्माण में सभी मिल–जुलकर कार्य करें, यही 18वीं बिहार विधान सभा में हमारी कामना है, जय भारत, जय बिहार, विकसित बिहार ।

माननीय सदस्यगण, अब बिहार गीत होगा । कृपया आप सब अपने–अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

(बिहार गीत)

अब सभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट–1

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार की कुल जनसंख्या में से लगभग 89 प्रतिशत लोग गाँवों में निवास करते हैं। उनकी गरीबी दूर करने, आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे लोगों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग कृत संकल्पित हैं। विभाग अंतर्गत जीविका, मनरेगा, जल–जीवन–हरियाली अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना, सतत् जीविकोपार्जन योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, आधार पंजीकरण, सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी एवं विकास प्रबंधन संस्थान कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा–निर्देशन एवं सुदृढ़ नेतृत्व में विकसित बिहार के लिए सात निश्चयों के अतिरिक्त गाँव का समग्र विकास कर ग्रामवासियों को सम्मान के साथ विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहें हैं।

जीविका

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना "जीविका" बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु कार्यरत है। इसके अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं के संस्थागत संगठनों का निर्माण कर जीविकोपार्जन विकास हेतु वित्तीय सहयोग एवं उनके सम्पोषण के लिए निरंतर कार्य जीविका, ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है।

जीविका, बिहार के 1 करोड़ 40 लाख से अधिक परिवारों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। महिलाएँ विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को अपनाकर उद्यमी बन रही हैं। विश्व बैंक ने भी इस परियोजना के व्यापक प्रभाव का आकलन किया है। 2016 के विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार यह आया कि –

- परिवारों की आय में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले जो वार्षिक आय 35 हजार 968 रुपये थी, वह बढ़कर 46 हजार 758 रुपये प्रति वर्ष हो गई।
- शुरुआत में परिवारों का कर्ज 50 प्रतिशत था जो अंतिम सर्वे में घटकर 7 प्रतिशत हो गया।

जीविका द्वारा विभिन्न अवयवों पर कार्य किया जा रहा है जिसकी उपलब्धि एवं लक्ष्य निम्न हैं :–

सामाजिक समावेशन –

- स्वयं सहायता समूह की शुरूआत वर्ष 2006 में 6 प्रखंडों में प्रारम्भ किया गया । वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की संख्या 11 लाख 3 हजार 627 है, जबकि शहरी क्षेत्र में इसकी संख्या 41 हजार 477 है। इस प्रकार वर्तमान में स्वयं सहायता समूह की कुल संख्या 11 लाख 45 हजार 104 है।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्रामीण क्षेत्र में 39 हजार 606 एवं शहरी क्षेत्र में 5 हजार 458 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 45 हजार 64 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है।
- स्वयं सहायता समूहों के अंर्तगत 1 करोड़ 40 लाख से अधिक परिवारों को समूहों से जोड़ा गया है तथा 73 हजार 515 ग्राम संगठन एवं 1 हजार 684 संकुल स्तरीय संघ का गठन किया गया है।

वित्तीय समावेशन–

- अब तक विभिन्न बैंकों द्वारा 10 लाख 49 हजार स्वयं सहायता समूहों के बचत बैंक खाता खोले गए हैं और कुल मिलाकर 59 हजार 250 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी है।
- ग्राहक सेवा केन्द्र खोले जाने की योजना के तहत कुल 6 हजार 443 बैंक सखियों को प्रशिक्षित कर ग्राहक सेवा केन्द्र खुलवाये गए हैं।
- ग्रामीण परिवारों के जीवन बीमा हेतु अब तक कुल स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 91 लाख 12 हजार सदस्यों का बीमा कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में करीब 1 लाख समूहों को बैंक द्वारा 4 हजार 504 करोड़ से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। महिलाओं की उद्यमशीलता को और अधिक गति प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर एक सहकारी संस्था बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना (जीविका निधि) का गठन किया गया है।

कृषि गतिविधि :–

- अबतक 42 लाख 54 हजार छोटे और सीमांत किसानों को कृषि सम्बंधित गतिविधियों से जोड़ा गया है। महिलाओं द्वारा संचालित 61 उत्पादक कंपनियों के पंजीकरण के साथ किसानों को प्रोत्साहन, उत्पादों का संग्रहण तथा बाजार से उनका लिंकेज किया जा रहा है।
- कृषि विभाग से समन्वय कर जनसमूह संघों द्वारा अबतक 520 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन किया जा रहा है।
- महिलाओं द्वारा जैविक खेती के संवर्द्धन हेतु अबतक 35 प्रखंडों में 85 जैविक क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं, जिनसे 6 हजार 832 किसानों को जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में लगभग 6 लाख 7 हजार महिला किसान को विभिन्न तरह के कृषि संबंधित योजनाओं से जोड़ा गया है।

पशुधन गतिविधिः—

- अबतक 7 हजार 736 पशु सखियों को प्रशिक्षित किया गया है जो बकरीपालन करने वाले 8 लाख 6 हजार परिवारों को सेवा प्रदान कर रही हैं। टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अबतक 10 लाख 5 हजार परिवारों के पशुओं का टीकाकरण कराया गया है।
- अररिया में स्थापित सीमांचल बकरी उत्पादक कंपनी द्वारा अबतक 19 हजार 956 परिवारों को जोड़ा गया है।
- कोशी प्रमंडल हेतु स्थापित कौशिकी दुग्ध उत्पादक कंपनी के अंतर्गत अबतक 889 दुग्ध संग्रहण केंद्र खोले गए हैं। अबतक 38 हजार 561 पशुपालक दूध की बिक्री, इन दुग्ध संग्रहण केंद्रों में कर रहे हैं एवं औसतन प्रतिदिन लगभग 72 हजार लीटर दूध का संग्रहण हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में पशुपालन संबंधित गतिविधियों से करीब 1 लाख 50 हजार परिवारों को जोड़ा गया है।

गैर—कृषि गतिविधिः—

- गैर कृषि गतिविधियों के कियान्वयन हेतु 701 उत्पादक समूह एवं 6 उत्पादक कंपनी का गठन किया गया है।
- गैर कृषि गतिविधि के अंर्तगत स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 2 लाख 92 हजार परिवारों को उद्यमिता विकास, अतिरिक्त आय संवर्धन एवं रोजगार सृजन से जोड़ा गया है।
- राज्य बागवानी मिशन, कृषि विभाग बिहार के सहयोग से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 11 हजार 855 महिलाएं मधुमक्खी पालन का कार्य कर रही हैं। अबतक 3 हजार 551 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया है।

- ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्यमियों, विशेषकर किराना दुकान से जुड़ी महिलाओं को, उचित दर पर गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु 143 रूरल रिटेल मार्ट का संचालन किया जा रहा है।
- ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना अन्तर्गत अबतक कुल 109 परिवारों को व्यवसायिक वाहन की उपलब्धता तथा स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (SVEP) के तहत अबतक कुल 32 हजार 572 व्यक्तिगत उद्यमियों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है।
- IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अबतक 150 जीविका दीदियों का उद्यम विकास किया गया है।
- स्वास्थ्य विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार के साथ अभिसरण कर जीविका दीदियों द्वारा अस्पतालों, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अवासीय विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में कुल 288 'जीविका दीदी की रसोई' का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 89 नए जीविका दीदी की रसोई स्थापित की गयी है।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत 42 सदस्यों को उद्यमी के रूप में चयनित कर मुजफ्फरपुर में बैग क्लस्टर का विकास किया गया है, जिसके अंतर्गत अबतक 29 लाख बैग का निर्माण किया जा चुका है ।
- कोईलवर के मानसिक आरोग्यशाला तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों के साथ साझेदारी के तहत दीदी की रसोई का संचालन, साफ–सफाई, लाउन्ड्री, मरीजों के परिधान की उपलब्धता जीविका द्वारा की जा रही है।
- 15 जिला में नोडल सिलाई सह प्रशिक्षण केंद्र पर 1 हजार 365 सिलाई मशीन के माध्यम से सिलाई का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड स्तर पर

सिलाई केंद्र स्थापित करना है जिसके लिए 40 हजार 142 जीविका दीदियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में 2 सिलाई उत्पादन केंद्र स्थापित किया जायेगा। इसके माध्यम से 50 हजार से अधिक जीविका दीदियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 50 हजार परिवारों को गैर कृषि योजनाओं से जोड़ा गया है।

कौशल विकास

- जीविका एवं विभिन्न परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सियों के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में माँग आधारित खुदरा कारोबार, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य, निर्माण, ऑटो, बिजली आदि क्षेत्र में युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। कौशल विकास एवं नियोजन के क्षेत्र में अबतक लगभग 4 लाख 8 हजार युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित अथवा स्व–नियोजित किया गया है।
- जीविका के द्वारा 2 बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र दिल्ली एवं बंगलोर में स्थापित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 मे लगभग 8 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर नियोजित किया गया है।

सामाजिक समावेशन

- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा योजना से समन्वय कर 987 जीविका दीदियों ने पौधशालाएँ (दीदी की नर्सरी) विकसित किया है। अबतक 4 करोड़ 84 लाख पौधारोपण किया गया हैं।
- मुख्यमंत्री कोशी मलबरी परियोजना के तहत मलबरी की खेती और रेशम कीट पालन से कुल 4 हजार 500 जीविका दीदियों को जोड़ा गया है।

- नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के सहयोग से जीविका दीदियाँ सोलर लैंप निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही हैं। कुल 372 दीदियाँ इस उद्यम से जुड़ी हुई है। गया जिले में J-WIRES कम्पनी की स्थापना की गयी है जो इस उद्यम को संचालित कर रही है।

- ग्रामीण परिवारों के बच्चों को पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने हेतु समुचित सहयोग प्रदान कराने एवं कैरियर निर्माण के संबंध में सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका द्वारा बिहार के 33 जिलों के 110 प्रखंडों में चिह्नित संकुल स्तरीय संघ स्तर पर 'सामुदायिक पुस्तकालय–सह–कैरियर विकास केंद्र' (सी.एल.सी.डी.सी.) की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 85 लाख 11 हजार 661 पौधारोपण किया गया हैं।

स्वास्थ्य एवं पोषण

- जीविका के द्वारा 45 स्वास्थ्य सहायता केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जो अस्पतालों में मरीजों को उचित चिकित्सा उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करती है।

- बक्सर जिले में एक सेनेटरी नैपकिन निर्माण का उद्यम लगाया गया है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना

- राज्य में अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत अबतक 2 लाख 1 हजार परिवारों का चयन किया गया है।

- अब तक कुल 2 लाख 1 हजार 218 चयनित अत्यंत निर्धन परिवारों मे 1 लाख 93 हजार परिवारों को जीविकोपार्जन अंतराल राशि तथा 1 लाख 97 हजार परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति हस्तांतरित की गयी है। योजना द्वारा सहयोग प्राप्त कर ये

परिवार गव्य एवं बकरी पालन माइक्रो एंटरप्राइज और दो व्यवसाय शुरू किए हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 6 हजार 70 परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति हस्तांतरित की गयी है।

महिला संवाद

- प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि सभी गाँवो में योजनाओं की स्थिति की जानकरी लेने एवं समस्याओं का निदान करने हेतु वरीय पदाधिकारियों को स्थल पर भेजा जाए।
- इसी क्रम में 18 अप्रैल 2025 से महिला संवाद का आयोजन किया गया, जहाँ वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में समुदाय की समस्याओं पर चर्चा की गयी।
- कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए जितने कार्य किए गए हैं, उन सभी बातों की जानकारी दी गयी। सदस्यों को लीफलेट एवं माननीय मुख्यमंत्री का सन्देश पत्र भी दिया गया तथा योजनाओं के बारे में जागरुकता फैलायी गयी।
- सरकार द्वारा किए गए कार्यों को वीडियो फिल्म के माध्यम से दिखाया गया। 600 महिला संवाद जागरूकता वाहनों के माध्यम से 70 हजार से अधिक स्थलों तक इस अभियान की रोशनी फैलाई गई।
- महिला संवाद द्वारा लगभग 1 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं तक राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी को पहुँचाने का कार्य किया गया।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना :

- बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शुरू की गयी। इस योजना का क्रियान्वयन जीविका द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार करने हेतु 10 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के उपरान्त 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी आवश्यकतानुसार प्रदान की जाएगी। यह लाभ महिलाओं को रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है, जिससे उनके पूरे परिवार की आमदनी बढ़े तथा जीवन स्तर में सार्थक सुधार हो सके।
- इस योजना अंतर्गत महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गाँवों से लेकर शहरों तक हाट–बाजार विकसित किये जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत अबतक 1 करोड़ 56 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगारपरक गतिविधियाँ संचालित करने हेतु 10 हजार रुपये दी जा चुकी है।

लखपति दीदी:

- इस पहल के तहत जीविका परियोजना ने ऐसी महिलाओं को लक्षित किया है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये या उससे अधिक समूहों से जुड़ने के बाद हो गई है, उन्हें लखपति दीदी का दर्जा दिया जाता है।
- लखपति दीदी पहल के तहत जीविका ने महिलाओं को विभिन्न स्थायी जीविकोपार्जन विषयों पर प्रशिक्षित किया हैं। वर्तमान समय में बिहार में 31 लाख 71 हजार जीविका दीदियों को लखपति दीदी योजनान्तर्गत लखपति घोषित किया जा चुका है।

➢ जीविका राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक संगठन निर्माण एवं स्वास्थ्य, संपोषण एवं स्वच्छता के लिए संसाधन संगठन (नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाईजेशन) के रूप में भी कार्य कर रही है। वर्त्तमान में इस राज्य की महिलाएँ दूसरे राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियाकलापों के विषय में उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण एवं क्षमतासंवर्धन में अपना योगदान दे रही हैं।

जीविका के प्रयासों का नतीजा है कि महिलाओं के अस्तित्व का अधिकार और सामाज में महिलाओं की स्वीकार्यता बढ़ी है। महिलाओं में आत्मबल का संचार हुआ है और हर दिशा में कुछ सकारात्मक करने का उनका उत्साह निरन्तर बना हुआ है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

➢ राज्य को 'संपूर्ण स्वच्छ' बनाने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G) एवं राज्य वित्त संपोषित 'लोहिया स्वच्छता योजना' (LSY) को राज्य सरकार द्वारा समेकित करते हुए 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' (LSBA) का संचालन किया जा रहा है।

➢ राज्य सरकार द्वारा संकेंद्रित प्रयास के माध्यम से "खुले में शौच" की समस्या का समाधान करने हेतु विकसित बिहार के सात निश्चय–1 अंतर्गत 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' को सम्मिलित किया गया। व्यवहार परिवर्तन केंद्रित जन–जागरूकता कार्यक्रमों, जनभागीदारी एवं बहुआयामी प्रयासों के फलस्वरूप लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान प्रथम चरण (2014–15 से 2019–20) में 1 करोड़ 22 लाख परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान की गयी ।

➢ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण उपरांत इसके सतत उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लाभुक को 12 हजार रूपये का प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में दिये जाने का प्रावधान है।

➢ भूमिहीन परिवारों, प्रवासी मजदूरों, अस्थायी एवं चलंत आबादी को शौचालय की सुलभता प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण प्रारंभ किया गया। इस पहल के तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 सें अब तक राज्य में 9 हजार 431 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया गया है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान – द्वितीय चरण (2021–22 से 2025–26)

➢ विकसित बिहार के सात निश्चय–2 अंतर्गत 'स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव' के संकल्पित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 'खुले में शौच से मुक्ति' (ओडीएफ) का स्थायित्व बनाये रखते हुये ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा वर्ष 2025–26 तक द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को 'संपूर्ण स्वच्छ' (ओडीएफ प्लस) बनाया जाना लक्षित है।

➢ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण अंतर्गत अब तक 23 लाख 72 हजार से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों (IHHL) का लाभार्थियों द्वारा स्वनिर्माण किया गया है।

➢ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत मुख्यतः घरेलू स्तर पर अपशिष्ट के पृथक्करण हेतु सामुदायिक उत्प्रेरण, घर–घर से ठोस अपशिष्ट का उठाव, परिवहन एवं समुचित निष्पादन, नाली की सफाई, धूसर जल का निस्तारण हेतु समुदाय का उत्प्रेरण, मलिन जल एवं मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन, नवोन्मेष इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं ।

➢ इस संदर्भ में राज्य के सभी वार्डों में घर–घर से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं निष्पादन किया जा रहा है।

➢ ठोस अपशिष्ट के समुचित निष्पादन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU) का प्रावधान है। इसके तहत अब तक 6 हजार 956 ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU) का निर्माण किया गया हैं।

- प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान हेतु प्रखंड/अनुमंडल स्तर पर 171 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई स्थापित किये गये हैं।
- तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 1 लाख 83 हजार 812 सामुदायिक सोकपिट, 80 हजार 744 जंक्शन चैंबर एवं 24 हजार 433 नाली निकासी बिंदु का निर्माण कराया गया है।
- कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु जिला स्तर पर बायोगैस उत्पादन के लिए गोबरधन योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत राज्य में 36 जिलों में गोबरधन इकाइयों का निर्माण किया गया है।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा समुदाय द्वारा राज्य में 869 गांव ओडीएफ–प्लस उज्ज्वल (Aspiring), 136 गांव ओडीएफ–प्लस उदयीमान (Rising) एवं 34 हजार 281 गांव ओडीएफ प्लस मॉडल (Model) श्रेणी के घोषित किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 का कार्यक्रम :

- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 की समाप्ति तक करीब 7 लाख नये परिवारों अथवा किसी कारणवश छूटे हुये परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य है।
- भूमिहीन परिवारों, चलंत आबादी एवं अस्थायी आबादी को शौचालय की सुलभता उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों की मांग एवं आवश्यकता के आधार पर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों / कलस्टर शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।
- राज्य के 840 ग्राम पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे पूर्ण किया जाना है एवं 90 ग्राम पंचायतों को निकटवर्ती अपशिष्ट प्रबंधन इकाई से जोड़ा गया है ।
- प्लास्टिक अपशिष्ट के सुनियोजित प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में 50 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।

- विर्त्तीय वर्ष 2025–26 में निर्माणाधीन 2 गोबरधन इकाई की स्थापना पूर्ण करते हुये सभी गोबरधन इकाइयों के संचालन का स्थायित्व सुनिश्चित किया जाना लक्षित है।
- सभी जिलों में मलयुक्त कीचड़ के प्रबंधन हेतु 38 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) की स्थापना लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 तक सभी फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु प्रकिया पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत सभी शेष ग्राम पंचायतों को ओडीएफ–प्लस मॉडल बनाया जाना लक्षित है।
- समुदाय केंद्रित जन–जागरूकता कार्यक्रम एवं सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यक्रमों का निरंतर संचालन किया जाएगा, जिससे सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन का स्थायित्व बना रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- ग्रामीण क्षेत्र में बेघर, कच्चा एवं जीर्ण–शीर्ण मकानों में निवास कर रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 से इन्दिरा आवास योजना को पुर्नगठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।
- इस योजना के तहत प्रति लाभुक को 1 लाख 20 हजार रूपये की सहायता राशि दी जाती है।
- इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2025–26 तक के लिए आवास निर्माण हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य 49 लाख 22 हजार के विरूद्ध कुल 49 लाख 8 हजार लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है।
- स्वीकृत आवास के विरूद्ध 39 लाख 18 हजार लाभुकों द्वारा आवास निर्माण पूर्ण किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2025–26 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत कुल 53 हजार 950 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है ।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त कुल भौतिक लक्ष्य 4 लाख 41 हजार के विरूद्ध 4 लाख 35 हजार लाभुकों को आवास की स्वीकृति देते हुए 17 हजार 90 आवासों को पूर्ण कराया गया है ।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में अबतक कुल 4 हजार 896 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है ।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए लाभुकों का सर्वेक्षण के उपरांत इनके सत्यापन का कार्य किया जा रहा है । सत्यापन के उपरांत योग्य लाभुकों को प्रतीक्षा सूची में शामिल करते हुए आवास का लाभ दिया जायेगा ।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

- वैसे लाभार्थी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (ग्रामीण) से लाभान्वित नहीं किये जा सकते हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की गयी है।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19, 2021–22 एवं 2025–26 के लिए आवास निर्माण हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य 94 हजार 101 के विरूद्ध 91 हजार 332 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है।
- स्वीकृत आवास के विरूद्ध 82 हजार 225 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण पूर्ण किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 से अबतक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत कुल 10 अरब 38 करोड़ 7 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना

- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना राज्य प्रायोजित योजना है, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 से संचालित है ।
- इस योजना अन्तर्गत दिनांक 01.04.2010 के पूर्व इंदिरा आवास योजना अंतर्गत आवास का लाभ प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनका आवास अधूरे/अपूर्ण अवस्था में है, उन्हे पूर्ण कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत 50 हजार रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना अन्तर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्य 46 हजार 949 के विरूद्ध 44 हजार 779 लाभुकों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।
- स्वीकृति के विरूद्ध 41 हजार 291 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण पूर्ण किया गया है।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना अन्तर्गत अबतक 216 करोड़ 61 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

जल–जीवन–हरियाली अभियान

- बिहार को सुन्दर, हरित और स्वच्छ बनाने तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से कारगर ढंग से निपटने, पारिस्थितकीय संतुलन बनाये रखने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, वन आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय उर्जा के उपयोग एवं उर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितकीय परिवेश के अनुरूप कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए 11 अवयवों की कार्य योजना तैयार कर दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 से राज्य में जल–जीवन–हरियाली अभियान की शुरूआत की गई है।

- जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय हेतु ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है।
- जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत 11 अवयवों पर कार्य किया जा रहा है –

1. सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा– तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना :– अबतक कुल 17 हजार 461 अतिक्रमित सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा– तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों एवं कुल 11 हजार 179 अतिक्रमित सार्वजनिक कुँओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।
2. सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा– तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों का जीर्णोद्धार – अबतक कुल 25 हजार 919 सार्वजनिक तालाबों/पोखरों एवं 77 हजार 494 सार्वजनिक आहरों/पईनों का जीर्णोद्धार कराया गया है।
3. सार्वजनिक कुँओं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार करना :– राज्य में अबतक कुल 38 हजार 17 सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार किया गया है।
4. सार्वजनिक कुँओं/चापाकलों के किनारे सोख्ता/रिचार्ज/अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण :– राज्य में अबतक 2 लाख 15 हजार 80 सार्वजनिक चापाकलों के किनारें एवं 30 हजार 238 सार्वजनिक कुँओं के किनारे सोख्ता निर्माण कार्य कराया गया है।
5. छोटी–छोटी नदियों/नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण :– राज्य में अबतक कुल 13 हजार 128 चेक डैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

6. नए जल स्त्रोंतों का सृजन एवं अधिशेष नदी जल क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल ले जाना :– इसके अन्तर्गत अबतक कुल 73 हजार 295 नए जल स्त्रोतों का सृजन किया गया है। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के अधिशेष जल को पाईप लाईन के माध्यम से राजगीर, नवादा, गया एवं बोधगया शहरों में लगभग 1 लाख 2 हजार 996 घरों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

7. भवनों में छत वर्षा जल संचयन की संरचनाओं का निर्माण :– इसके अन्तर्गत अबतक कुल 15 हजार 20 सरकारी भवनों पर छत वर्षा का जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

8. पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण :– इसके अन्तर्गत अबतक कुल 20 करोड़ 48 लाख पौधे लगाये गये हैं।

9. वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य नई तकनीकों का उपयोग :– इसके अन्तर्गत 86 हजार 152 एकड़ भूमि में जैविक कृषि का कार्य, 49 हजार 520 एकड़ भूमि में सूक्ष्म सिंचाई का कार्य एवं 2 लाख 61 हजार 43 एकड़ भूमि में मौसम अनुकूल खेती का कार्य किया जा रहा है।

10. सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत :– इसके अन्तर्गत सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयत्रों की स्थापना की जा रही है एवं सभी कार्यालयों में ऊर्जा की बचत पर बल दिया जा रहा है। अबतक 11 हजार 459 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

11. जल–जीवन–हरियाली जागरूकता अभियान :–इसके अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रम का संचालन अनेक स्तर पर विभिन्न विभागों के द्वारा किया जा रहा है, जिसका उददेश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। इसके लिए संचार के नवीन एवं परंपरागत तकनीकों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल–जीवन–हरियाली दिवस का आयोजन किया जा रहा है।

➢ जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जल–जीवन–हरियाली मिशन के माध्यम से अन्तर विभागीय समन्वय एवं अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। इस तरह जल संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को समर्पित यह अभियान जन भागीदारी के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर सत्त अग्रसर है। इसलिए हम कहते है "जल–जीवन–हरियाली, तभी होगी खुशहाली"।

मनरेगा

➢ महात्मा गाँधी नरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) योजनान्तर्गत सभी इच्छुक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिनों का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

➢ इस योजना का मुख्य उददेश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वास करने वाले गरीब एवं बेरोजगार परिवारों को सर्वाधिक लाभ एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोका जा सके ।

➢ वित्तीय वर्ष 2024–25 में 17 करोड़ मानव दिवस के स्वीकृत श्रम बजट के विरुद्ध 24 करोड़ 99 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है, जो स्वीकृत श्रम बजट का 147 प्रतिशत है।

➢ वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य के लिए कुल 21 करोड़ मानव दिवस का श्रम बजट स्वीकृत किया गया है, जो देश में सर्वाधिक है।

➢ वित्तीय वर्ष 2025–26 में 21 करोड़ मानव दिवस के स्वीकृत श्रम बजट के विरूद्व 16 करोड़ 40 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है, जो कुल स्वीकृत श्रम बजट का लगभग 78 प्रतिशत है।

➢ वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1 करोड़ 93 लाख वृक्षारोपण के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 1 करोड 4 लाख पौधे लगाये जा चुके हैं।

- मनरेगा अंतर्गत मजदूरों के मजदूरी भुगतान ससमय सुनिश्चित करने (8 दिनों के अंदर) का प्रतिशत 94.45 है, जो विगत वर्ष से बेहतर है।
- मनरेगा द्वारा जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत 2025–26 में अबतक 4 हजार 979 तालाब/ पोखर/आहर/पईन का जीर्णोद्धार कराया गया है।
- मनरेगा द्वारा जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत वर्ष 2025–26 में अबतक 4 हजार 971 चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण किया गया है।
- साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल–कूद के पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु खेल–कूद की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए मनरेगा से ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित किये जा रहे हैं।

<u>प्रखंड भवन प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय भवन का निर्माण</u>

- पूर्व में जीर्ण–शीर्ण प्रखंड भवनों में प्राथमिकता के आधार पर कुल 82 प्रखंड कार्यालय–सह–आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास योजना के निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से 78 प्रखंड में प्रखंड कार्यालय–सह–आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास योजना के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के कुल 241 जर्जर अथवा गैर मरम्मति योग्य कार्यालय भवन के कारण नये प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति प्रखंड राशि 16 करोड़ 62 लाख 10 हजार रूपये एवं 62 भवनहीन प्रखंडों में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय परिसर के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति प्रखंड राशि 30 करोड़ 74 लाख 17 हजार रूपये की दर से कुल राशि 5 हजार 994 करोड़ 75 लाख 14 हजार रूपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रखंडों के लिए वाहन क्रय

- प्रखंडों में विकासात्मक कार्यों के सफल कार्यान्वयन, कार्यान्वित योजनाओं की जाँच, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्य में सुविधा के मद्देनजर राज्य के सभी 534 प्रखंडों के लिए नया वाहन क्रय की गई है।

प्रखंड कार्यालय की साफ–सफाई

- राज्य के सभी प्रखंड कार्यालय प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रखंड कार्यालय द्वारा किया जाता है। इन कार्यालयों की साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था का प्रबंधन नहीं होने से कर्मचारियों के साथ–साथ आम जनता को उचित वातावरण नहीं मिल पाता है। इस हेतु सभी प्रखंड कार्यालयों में उचित साफ–सफाई की व्यवस्था की गई है।

द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से विभागीय प्रस्ताव – वित्तीय वर्ष 2025–26 के द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत 21 हजार करोड़ रूपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 989 करोड़ 14 लाख 86 हजार रूपये, मनरेगा के अन्तर्गत 655 करोड़ 49 लाख 18 हजार रूपये, एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत 605 करोड़ 24 लाख 75 हजार रूपये, जीविका निधि के अन्तर्गत 200 करोड़ रूपये, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत 207 करोड़ 65 लाख रूपये, विपार्ड के अन्तर्गत 22 करोड़ रूपये, लोहिया स्वच्छता योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 360 करोड़ 51 लाख रूपये अर्थात कुल 24 हजार 50 करोड़ 4 लाख 79 हजार रूपये की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

मानननीय मंत्री, वित्त विभाग का लिखित वक्तव्य –परिशिष्ट द्रष्टव्य– 2

परिशिष्ट–2

<u>माननीय अध्यक्ष महोदय,</u>

वित्तीय वर्ष 2025–26 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक–03 दिसम्बर, 2025 को उपस्थापित किया गया। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में 91 हजार 7 सौ 17 करोड़ 11 लाख 35 हजार रुपये (91,717.1135 करोड़ रुपये) की राशि प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित राशि में **वार्षिक स्कीम मद** में 51 हजार 2 सौ 53 करोड़ 77 लाख 84 हजार रुपये, (51,253. 7784 करोड़ रुपये), **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद** में प्रभृत्त सहित 40 हजार 4 सौ 62 करोड़ 99 लाख 51 हजार रुपये (40,462.9951 करोड़ रुपये) एवं **केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद** में 34 लाख रुपये (34.00 लाख रुपये) प्रस्तावित है। कुल प्रस्तावित राशि में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत 18 हजार 4 सौ 70 करोड़ 47 लाख 31 हजार रुपये (18,470.4731 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, वार्षिक स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश एवं राज्यांश तथा राज्य स्कीम को शामिल किया जाता है। वार्षिक स्कीम मद में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश मद में 7 हजार 4 सौ 20 करोड़ 47 लाख 21 हजार रुपये (7,420.4721 करोड़ रुपये), केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के राज्यांश मद में 6 हजार 3 सौ 35 करोड़ 11 लाख 11 हजार रुपये

(6,335.1111 करोड़ रुपये) एवं राज्य स्कीम मद में 37 हजार 4 सौ 98 करोड़ 19 लाख 52 हजार रुपये (37,498.1952 करोड़ रुपये) प्रस्तावित है।

प्रस्तावित राशि में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के राज्यांश अन्तर्गत मुख्यतः समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत 4 हजार 1 सौ 96 करोड़ 89 लाख रुपये (4,196.89 करोड़ रुपये), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत 1 हजार 35 करोड़ 77 लाख रुपये (1035.77 करोड़ रुपये), पोषण अभियान (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण–2) अन्तर्गत 3 सौ 4 करोड़ 47 लाख रुपये (304.47 करोड़ रुपये), 2 सौ 71 करोड़ 94 लाख रुपये राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत (271.94 करोड़ रुपये), आयुष्मान भारत (राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन) अन्तर्गत 2 सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अन्तर्गत 1 सौ 66 करोड़ 35 लाख रुपये (166.35 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश मद में मुख्यतः समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत 1 हजार 5 सौ 48 करोड़ 41 लाख रुपये (1,548.41 करोड़ रुपये), आयुष्मान भारत (हेल्थ इन्फ्रास्ट्रकचर मिशन अन्तर्गत 1 हजार 4 सौ करोड़ रुपये (1,400 करोड़ रुपये) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत 9 सौ 90 करोड़ रुपये (990.00 करोड़ रुपये), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

अन्तर्गत 3 सौ 81 करोड़ 27 लाख रुपये (381.27 करोड़ रुपये) पोषण अभियान (सक्षम आंगनबाड़ी पोषण–2) अन्तर्गत 1 सौ 19 करोड़ 27 लाख रुपये (119.27 करोड़ रुपये) एवं पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण अन्तर्गत 1 सौ 12 करोड़ 46 लाख रुपये (112.46 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के साथ–साथ राज्य की स्कीम पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है। राज्य स्कीम मद में 37 हजार 4 सौ 98 करोड़ 19 लाख 52 हजार रुपये (37,498.1952 करोड़ रुपये) का प्रस्ताव है, जो मुख्यतः मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अन्तर्गत 21 हजार करोड़ रुपये (21,000 करोड़ रुपये), मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत 1 हजार 8 सौ 85 करोड़ 65 लाख रुपये (1,885.65 करोड़ रुपये), सड़कों एवं पुलों के निर्माण अन्तर्गत 8 सौ 61 करोड़ 21 लाख रुपये (861.21 करोड़ रुपये), बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत 8 सौ करोड़ रुपये (800.00 करोड़ रुपये), मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत 7 सौ 50 करोड़ रुपये (750.00 करोड़ रुपये), पंचायत सरकार भवन अन्तर्गत 5 सौ करोड़ रुपये (500.00 करोड़ रुपये) एवं औद्योगिक विकास के लिए भू–अर्जन अन्तर्गत 5 सौ करोड़ रुपये (500.00 करोड़ रुपये) प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पूंजीगत व्यय हेतु 32 हजार 6 सौ 52 करोड़ 68 लाख 51 हजार (32,652.6851 करोड़) रुपये का अनुपूरक प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रभृत सहित 40 हजार 4 सौ 62 करोड़ 99 लाख 51 हजार रुपये (40,462.9951 करोड़) रुपये का अनुपूरक प्रस्तावित है, जिसमें आकस्मिकता निधि के स्थायी काय में राशि अन्तरण अन्तर्गत 21 हजार 6 सौ 89 करोड़ 50 लाख रुपये (21,689.50 करोड़ रुपये), विभिन्न विभागों के वेतनादि अन्तर्गत 9 हजार 2 सौ 43 करोड़ रुपये (9,243.00 करोड़ रुपये), मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना हेतु उपभोक्ता सब्सिडी अन्तर्गत 6 हजार 4 सौ 62 करोड़ रुपये (6,462.00 करोड़ रुपये), प्रत्याभूति मोचन निधि हेतु 1 हजार 2 सौ 11 करोड़ 35 लाख रुपये (1,211.35 करोड़ रुपये) तथा सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु 4 सौ करोड़ रुपये (400.00 करोड़ रुपये) प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2025 द्वारा कुल 91 हजार 7 सौ 17 करोड़ 11 लाख 35 हजार रुपये (91,717.1135 करोड़ रुपये) की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है। द्वितीय अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2025 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सदन से अनुरोध है कि द्वितीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2025 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इसे ध्वनिमत से पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे।

जय हिन्द, जय बिहार।

****